150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भीम BHIM भारत इंटरफ़ेस फ़ॉर मनी

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय

एफ–55, कृष्णा मार्ग, नन्दपुरी, 22 गोदाम, जयपुर

क्रमांक प.2()वविनि/लेखा/विविध/2020–21/ 10614 दिनांक :– 22 DEC 2020

परिपत्र

विषय :– विद्युत निरीक्षणालय की समस्त गतिविधियों से संबंधित आवेदन प्रकिया एवं शुल्क को ऑनलाईन जमा कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विद्युत निरीक्षणालय के स्तर से संपादित किये जाने वाले (सिनेमाधरों के विद्युतीय निरीक्षण शुल्क, अनुज्ञा पत्रों और वायरमेनों के नवीन प्रमाण पत्र/नवीनीकरण कराने का शुल्क/ विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस/ नवीनीकरण एवं नवीन विद्युत संस्थापनों की संस्थापना शुल्क/सामयिक निरीक्षण शुल्क) समस्त सेवाओं के आवेदन करने की प्रकिया एवं निर्धारित शुल्क जमा कराने की प्रकिया ऑनलाईन की जा चुकी है। आमजन एवं उपभोक्ता उक्त सेवाओं का लाभ ई–मित्र के माध्यम से और स्वयं अपने स्तर पर विभागीय वेबसाईट पर जाकर Egrass के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया एवं शुल्क जमा कराने की कार्यवाही ऑनलाईन संपादित कर सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त ऑनलाईन प्रकिया का पूर्णतया पालना नहीं किया जाकर अभी भी विभिन्न सेवाओं से संबंधित शुल्क डी.डी./चैक के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है जिसकी प्रक्रिया काफी लम्बी एवं असुविधा जनक है कई बार आवेदन शुल्क की एवज में प्राप्त डी.डी. एवं चैक प्रकिया के दोरान ही अवधि पार हो जाते है जिसके कारण उन्हें संबंधित को वापस लौटाना एवं फिर वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है जिससे काफी श्रम एवं समय का अपव्यय होता हैं तथा उपभोक्ता को भी समय पर सेवायें नही मिल पाती है एवं उपभोक्ता को परेशानी का सामना भी करना पड़ता हैं। अतः उक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. दिनांक 01 जनवरी 2021 से विभागीय सेवाओं के निर्धारित शुल्क ऑन लाईन E-grass के माध्यम से जमा कराये गये शुल्क स्वीकार किये जायेगे शुल्क डी.डी/चैक के रूप में या अन्य माध्यम से प्राप्त/स्वीकार नहीं किये जावेगें।
2. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि इन्हें ऑनलाईन के अलावा किसी भी माध्यम से स्वीकार किया जाता है तो वह स्वंय इसके लिये उत्तरदायी होगा। मुख्यालय स्तर पर इन्हें प्राप्त नही किया जावेगा, प्राप्त किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को इसके लियें दोषी मानते हुये उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Scanned with CamScanner

उपभोक्ता से संबंधित समरत सेवाओं के आवेदन/ निर्धारित शुल्क की प्रकिया ऑनलाईन होने की समस्त जानकारी उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।

4. ऑनलाईन शूल्क जमा कराने की प्रकिया हेतु उपभोवताओं में जागरूकता लाने एवं उनकी किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से कराने की व्यवरथा भी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष सुनिश्चित करें।
5. डिमाण्ड नोट जारी किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित उपभोक्ता का पूर्व का कोई बकाया शुल्क तो नहीं है यदि कोई बकाया शुल्क है तो डिमाण्ड नोट में वह राशि भी सम्मिलित कर कुल राशि का डिमाण्ड नोट जारी किया जाना सुनिश्चित करें तथा जारी किये गये डिमाण्ड नोट एवं उनके विरूद्व जमा राशि की मासिक सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल द्वारा संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. जब तक पुरानी बकाया राशि एवं सभी प्रकार के जमा शुल्क की पुष्ठि E-grass पोर्टल पर नहीं हो जाती है तब तक संबंधित उपभोक्ता को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावें, प्रत्येक E-grass चालान या जमा शुल्क की रसीद की पुष्ठि करने की जिम्मेदारी के फलस्वरूप संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करेगा। तत्पश्चात् ही इसकी पुष्ठि मान्य होगी।
7. विभिन्न सेवाओं के आवेदन एवं निर्धारित ऑनलाईन शुल्क जमा कराने की प्रकिया के लिंक विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

E-grass पर ऑनलाईन जमा करने की प्रकिया का लिंक निम्न प्रकार है :–

https://egras.raj.nic.in/ :-

sd/-

जी.एस. जीनगर)
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2()वविनि / लेखा / 2020–21 / 10614 दिनांक :– 22 DEC 2020

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
2. समस्त विद्युत निरीक्षक / सहायक विद्युत निरीक्षक को पालनार्थ।
3. आई.टी.शाखा मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र एवं गाईड लाईन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. शाखा :– सिनेमा / विद्युत सुपरवाईजर / वायरमेन / विद्युत ठेकदारी लाईसेंस / पी.आई / डाक प्राप्ति / रौकड़, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा संपादित किये जा रहे कार्य / अनुभाग की मासिक सूचना अधिनस्थ कार्योलयों से मंगवाकर उनकी Monitoring system डवलप करने हेतु प्रपत्र निर्धारित कर संबंधित कार्योलयों को भिजवाना सुनिश्चित करें।

22.12.2020
(जी.एस. जीनगर)
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner